न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

प्रकीर्ण फौजदारी संख्या 149/19

नीलम गुप्ता बनाम मो0 उमर उर्फ बब्लू आदि

30–1–2021

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 156(3) दं0प्र0सं0

पत्रावली पेश हुई । उपस्थित कोई नहीं। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 156(3) दं0प्र0सं0 नियत है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दिनॉक 28–1–2019 से न्यायालय में लम्बित है। प्रस्तुत वाद में दिनॉक 30–1–2020 से प्रार्थिनी उपस्थित नही आ रही है न ही प्रार्थिनी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये हैं और न ही कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। न्यायालय द्वारा दिनॉक 02–12–2020 से अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया है किन्तु इसके बावजूद भी प्रस्तुत वाद में प्रार्थिनी न तो उपस्थित है न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आये ऐसा विदित होता है कि प्रार्थिनी को प्रस्तुत वाद चलाने में कोई रूचि शेष नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद प्रार्थिनी की अनुपस्थित में लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 156(3)दं0प्र0सं0 पर बल देने हेतु कोई उपस्थित न होने के कारण खारिज जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर की जाय।

सी0जे0एम0
खीरी।